राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–353/2013

डॉ. प्रकाश चन्द गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर राजस्थान।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.12.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2001 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच का निस्तारण दिनांक 29.06.2010 को हुआ, जिसमें विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को विभागीय जांच में निर्दोष पाया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 01.11.2010 को ग्रेज्यूटी की राशि 350000/–रूपये तथा कम्यूटेड पेंशन राशि 216901/–रूपये का भुगतान बिना किसी ब्याज के किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को जो सेवानिवृत्ति लाभ दिया गया है, वह देरी से दिया गया है। जिस कारण से अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 89 के तहत ब्याज की राशि अदा की जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि शासन उप सचिव कार्मिक (क–3 जांच) विभाग जयपुर के यहां अपीलार्थी की विभागीय जांच लम्बित होने के कारण ग्रेच्युटी एवं टोटल एमाउन्ट ऑफ कम्युटेड राशि रोकी गयी, किन्तु प्रोविजनल पैशन स्वीकृत करायी गयी । अपीलार्थी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय जांच लम्बित होने के कारण राज्य सरकार जरिये उपशासन सचिव द्वारा उक्त राशि रोकी गयी । विभागीय जांच का प्रकरण शासन उप सचिव कार्मिक (क–जांच) विभाग राज. जयपुर ने आदेश दिनांक 11–9–2009 के द्वारा विभागीय जांच से दोषमुक्त किया गया । अतः उक्त एन.ओ.सी. प्राप्त होते ही

समस्त परिलाभों का भुगतान करा दिया गया । अतः अपीलार्थी को ब्याज की राशि देय नहीं है। अपीलार्थी ने यह स्वीकार किया है कि मुझे समस्त भुगतान कर दिये गये हैं । किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित होती है तो राज्य सरकार से दोषमुक्त होने के उपरान्त ही समस्त परिलाभों का भुगतान किया जाता है। ब्याज राशि इसलिये देय नहीं है । चूंकि अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच विचाराधीन थी इसलिये अपीलार्थी के प्रकरण में जो भी विलम्ब हुआ है वह प्रक्रियात्मक विलम्ब है जिसके लिये उत्तरदाता प्रत्यर्थी विभाग कतई उत्तरदायी नहीं है। अपीलार्थी को ग्रेच्युटी राशि 350000/– एवं कम्यूटेड राशि 216901/– रूपये दिनांक 1–11–2010 को जरिये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बूंदी के माध्यम से भुगतान किया गया है ।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित थी, जिस कारण से उक्त पेंशन लाभ रोके गये थे। विभागीय जांच में अपीलार्थी निर्दोष पाये जाने पर अपीलार्थी को पेंशन लाभ दिनांक 01.11.2010 को दिया गया, जो बिना ब्याज के अदा किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 89 निम्न प्रकार से हैं :–

> ''(1) यदि सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब, सरकारी कर्मचारी की ओर से, इस अध्याय में या इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति फायदों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति फायदे प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा''

4. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि पेंशन परिलाभ के भुगतान में हुई देरी पर अपीलार्थी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज का भुगतान किया जावे। इस आदेश की पालना 3 माह में की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)